प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2023
   प्र0सू0रि0 सं ....156/2023 दिनांक..........19/6/2023..........
2. (1) अधिनियम...........धाराऐं.........**7,7ए पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 व धारा 120बी भा.द.सं.......**
3. (क) घटना का दिन :– रविवार :–दिनांक **18.06.2023**
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– **11.06.2023 समय :– 02.30 पी.एम.**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....291.......... समय..........6:45PM..........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक)
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी **–ए.सी.बी. बून्दी से करीब 4 कि0मी0 बजानिब पूर्व दिशा**
   बीट संख्या..........जुरामदेही सं..........
   (ख) पताः– **राधिका विहार कॉलोनी, श्योपूरिया की बावडी, नैंनवा रोड, बूंदी।**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :–**श्री प्रहलाद गुर्जर**
   (ख) पिता का नाम :–**श्री प्रभुलाल गुर्जर**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **50 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –खेती बाडी
   (छ) पता :– **गेट नं. 6 के सामने इन्द्रा कॉलोनी, थाना सदर जिला बूंदी**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   (1) भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री हरदेव जाति गुर्जर उम्र 55 साल निवासी लंका गेट, वैद्यनाथपाडा बूंदी शहर जिला बूंदी हाल सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ, कार्यालय रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी।
   (2) नन्दलाल शर्मा उर्फ पेन्टर पण्डित पुत्र श्री बंशीलाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी, नैनवा रोड बूंदी (प्राइवेट व्यक्ति–दलाल)
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः –**30,000 रूपये** ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..........
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 11.06.2023 समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रहलाद पुत्र श्री प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी गेट नं. 6 के सामने इन्द्रा कॉलोनी, थाना सदर जिला बूंदी उपस्थित एसीबी चौकी बूंदी ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस उप अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि – " प्रार्थी इन्द्रा कॉलोनी बूंदी का निवासी है। प्रार्थी की जमीन ग्राम श्योपूरिया की बावडी तहसील बूंदी पटवार हल्का माटुन्दा में स्थित है। यह जमीन करीब 14 बीघा 7 बिस्वा है उक्त जमीन के पास वन विभाग बूंदी द्वारा दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है। वन विभाग बूंदी का अधिकारी भैरूलाल गुर्जर मेरे से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने की धमकी देकर 1 लाख रूपयों की रिश्वत मांग रहा है तथा रिश्वत नही देने पर दीवार खाते की जमीन में बनाने की धमकी दे रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। "

परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि "मेरी श्योपूरिया की बावडी के पास में कृषि भूमि है उक्त भूमि के पास से वन विभाग खाई खोदकर दीवार बना रहा है। वन विभाग का अधिकारी भैरूलाल गुर्जर मेरे पास आया तथा कहा कि आपने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है तो दीवार आपके खेत के अन्दर से निकलेगी। मैंने कहा कि जमीन मेरी है तो भैरूलाल गुर्जर ने कहा कि दीवार मैं निकलवा रहा हूँ एक लाख रू दे दो तो खाई खोदकर दीवार को जमीन के बाहर से निकाल दूंगा। वन

अधिकारी भैरूलाल गुर्जर 14 जून को मेरे से दुबारा रूपये लेने के लिये आने की बात कहकर गया है।" परिवादी ने उक्त जमीन के सम्बंध में जमीन की जमाबंदी, नक्शा मय मुख्तारनामा, वसीयत नामा व इकरार नामा बैचान आदि दस्तावेज स्वप्रमाणितशुदा पेश किये, जिनको शामिल कार्यवाही किया गया एवं मूल दस्तावेज परिवादी को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई।

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं पूछताछ से मामला रिश्वत की मांग का होना पाया गया। जिसका सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। श्री रामसिंह कानि 78 द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर मंगवाकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की विधि समझाई गई। मन् उप अधीक्षक ने परिवादी का परिचय श्री राम सिंह कानि. 78 से करवाया एवं दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को आदान–प्रदान किये जाकर दिनांक 14.06.2023 को परिवादी से सम्पर्क करके रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करने के निर्देश श्री रामसिंह कानि 78 को दिये। परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखस्त किया गया।

दिनांक 14.06.2023 समय 09.30 ए.एम. पर श्री राम सिंह कानि. 78 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि परिवादी प्रहलाद गुर्जर से उसके मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर अवगत करवाने की हिदायत देकर श्री राम सिंह कानि. 78 को रवाना किया गया।

समय 04.00 पी.एम. पर श्री राम सिंह कानि. 78 ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया तथा मन् उप अधीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकार्डर पेश कर बताया कि " निर्देशानुसार आज सुबह मैं डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर परिवादी से हुई वार्ता के अनुसार श्योपूरिया की बावडी पहुँचा, जहां पर परिवादी प्रहलाद गुर्जर उपस्थित मिला। परिवादी प्रहलाद ने मुझे बताया कि मेरी भैरूलाल गुर्जर से बात हुई है वो अपने दलाल को मेरे पास रूपये लेने भेज रहा है। इसके बाद इंतजार में हम मुकीम रहे तथा परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सिपुर्द कर दोनो के मध्य होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये।

कुछ समय पश्चात राधिका विहार कॉलोनी श्योपूरिया की बावडी पर स्थित परिवादी के परिचित के मकान के पास एक व्यक्ति आया और परिवादी से बातचीत करने लगा और थोडी देर बाद वापस चला गया। तब मै वही आस पास अपनी पहचान छुपाते हुये मुकीम था। उसके बाद परिवादी से पूछने पर उसने मुझे बताया कि " भैरूलाल गुर्जर ने रूपये लेने के लिये अपने दलाल पण्डित जी (नाम नामालूम) को भेजा था तो मैंने कहा कि मैं आपको रूपये क्यों दू, तो पण्डित जी ने स्वयं के मोबाईल का स्पीकर ऑन करके मेरी भैरूलाल गुर्जर वन अधिकारी से बात करवाई तो भैरूलाल ने कहा कि आप रूपये दे दो, काम हो जायेगा, निश्चित रहो। उसके बाद भैरूलाल गुर्जर के कहेनुसार पण्डित जी मेरे से 20,000 रूपये लेकर गया है।" मैंने परिवादी प्रहलाद गुर्जर से डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर अपने सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि दुबारा भैरूलाल का फोन आयेगा या दलाल आयेगा तो मैं आपको बता दूंगा। परिवादी ने स्वयं के खेत पर जरूरी कार्य होने की बात बताने पर उसको मौके पर छोडकर मै ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया।

मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाकर सुना तो राम सिंह कानि. 78 द्वारा बताये गये तथ्यों सही होना पाये गये तथा रिश्वत मांगने एवं सत्यापन के दौरान आरोपी भैरूलाल गुर्जर द्वारा दलाल के माध्यम से 20,000 रूपये रिश्वत प्राप्त करने की पुष्टि हुई। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को श्री रामसिंह कानि द्वारा सुरक्षित मालखाना मे रखवाया गया।

दिनांक 18.06.2023 को परिवादी प्रहलाद गुर्जर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया तथा मन् उप अधीक्षक को बताया कि आज भैरूलाल गुर्जर वन अधिकारी मेरे से मांग के अनुसार करीब तीन बजे बाद राधिका विहार कॉलोनी, श्योपूरिया की बावडी रूपये लेने आयेगा। परिवादी के कथन एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार अविलम्ब ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना आवश्यक होने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बूंदी को जरिये दूरभाष दो स्वतंत्र गवाह अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय बूंदी में भिजवाने का निवेदन किया। गवाहान तलबी बाबत तहरीर पृथक से प्रेषित की गई।

समय 12.10 पी.एम. पर कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बूंदी से तलविदा दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आये। दोनों गवाहान से नाम पत्ते पूछे तो एक ने अपना नाम ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री भंवरलाल सैनी जाति माली उम्र 26 साल निवासी प्रतापनगर गणेश बाग के सामने देवपुरा बूंदी तहसील व जिला बूंदी हाल कनिष्ठ सहायक एवं दूसरे ने पप्पूलाल सेन पुत्र श्री गिरिराज सैन जाति नाई उम्र 30 साल निवासी ग्राम माईजा तहसील केशोराय पाटन जिला बूंदी हाल कनिष्ठ सहायक होना बताया। स्वतंत्र गवाहान का परिवादी प्रहलाद गुर्जर से परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 11.06.2023 को पेश प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति दी। परिवादी प्रहलाद गुर्जर ने बताया कि "मेरे पास मांग के अनुसार 70,000 रूपये की व्यवस्था नही हो पाई है, मेरे पास अभी 30,000 रूपये ही है, मैं भैरूलाल गुर्जर को 30,000 रूपये में सहमत कर लूंगा। "

समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रहलाद गुर्जर द्वारा अपने पास से 500–500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये मन उप अधीक्षक के समक्ष पेश करने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अकिंत किये गये। श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 द्वारा कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई जाकर सभी नोटो पर श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री प्रहलाद गुर्जर की जामा तलाशी गवाह श्री ओमप्रकाश सैनी से लिवाई जाकर परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु/राशि/दस्तावेज नही रहने दिया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो को श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 से परिवादी श्री प्रहलाद गुर्जर के पहने हुये कुर्ते की साईड की बायीं जेब में रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पावडर का घोल तैयार करवाया एवं धोल मे श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सम्बधितो को दिखाकर धोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई नोटो पर पावडर लगाने मे काम मे लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ठ करवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 के दोनों हाथों व कांच के गिलास को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री प्रहलाद गुर्जर को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद मन उप अधीक्षक व टीम के सदस्यो की और निर्धारित ईशारा करने की समझाईश की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामील कार्यवाही की गई।

समय 03.20 पी.एम. पर परिवादी को आवश्यक समझाइश कर स्वयं की निजी मोटर साइकिल से श्री राम सिंह कानि. के साथ आगे–आगे राधिका विहार कॉलोनी, श्योपूरिया की बावडी रवाना कर दो प्राइवेट वाहनों से मन् उप अधीक्षक मय श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक, एसीबी जाप्ता श्री मनोज कुमार कानि. 452, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, श्री राजकमल कानि. 330 मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 मय स्वतंत्र गवाहान ओमप्रकाश सैनी व पप्पूलाल सेन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप में काम आने वाली अन्य सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। कार्यालय में श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि. 474 को ब्यूरो कार्यालय बूंदी छोडा गया।

समय 03.30 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ते के राधिका विहार कॉलोनी, श्योपूरिया की बावडी पहुँचा एवं परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के आने पर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु कर दोनों के मध्य होने वाली रिश्वत लेन–देन वार्ता को रिकार्ड करें तथा राम सिंह कानि. 78 को निर्देश दिये कि रतनलाल प्रजापत के मकान की छत पर छुपाव हासिल करते हुये परिवादी व आरोपी पर निगरानी रखते हुये आरोपी के रिश्वत लेने पर ब्यूरो टीम को इशारा करें।

तत्पश्चात परिवादी प्रहलाद गुर्जर व राम सिंह कानि. 78 को रतनलाल प्रजापत के घर के पास रवाना किया तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, श्री राजकमल कानि. 330, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350, स्वतंत्र गवाहान को एक प्राइवेट वाहन में रतनलाल प्रजापत के मकान से पश्चिम दिशा में मुकीम रहने के निर्देश दिये तथा दूसरे प्राइवेट वाहन में मन् उप अधीक्षक मय श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक, श्री मनोज कानि. 452 के रतनलाल प्रजापत के मकान से पूर्व दिशा में अपनी अपनी उपस्थिति को छुपाकर निर्धारित इशारे की प्रतीक्षा में मुकीम रहे।

समय 03.53 पी.एम. पर श्री राम सिंह कानि. 78 ने राधिका विहार कॉलोनी, श्योपूरिया की बावडी में रतनलाल प्रजापत के मकान की छत से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेने का इशारा करने पर आस पास मुकीम टीम के सदस्यों व स्वतंत्र गवाहान के मन् उप अधीक्षक रवाना होकर मौके पर पहुँचा। जहां पर परिवादी प्रहलाद गुर्जर एक अन्य व्यक्ति से बात करते हुये मिला तथा परिवादी से मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी से पूछने पर बताया कि "साहब यही भैरूलाल गुर्जर वन अधिकारी है, जो अभी अपनी मोटर साइकिल से मेरे पास आया तथा रतनलाल प्रजापत के मकान के साइड में पडी चारपाई के पास मेरे से मांग करके 30,000 रूपये रिश्वत के लिये तथा गिन कर अपनी पहनी हुई पेन्ट के सामने के अन्दर की जेब में रखे है।"

मन् उप अधीक्षक ने परिवादी के पास खडे व्यक्ति को स्वयं व टीम का परिचय देकर नाम पता व पद पूछा तो उसने अपना नाम भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री हरदेव जाति गुर्जर उम्र 55 साल निवासी लंका गेट, वैद्यनाथपाडा बूंदी शहर जिला बूंदी हाल सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ, कार्यालय रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी होना बताया।

परिवादी प्रहलाद गुर्जर से ली गई रिश्वत राशि 30,000 रूपये के सम्बध मे आरोपी भैरूलाल गुर्जर से पूछने पर बताया कि "प्रहलाद गुर्जर को मैंने प्लाट के लिये उधार रूपये दिये थे जो आज उसने मुझे लौटाये है, मैंने कोई रिश्वत नही ली है। परिवादी ने आरोपी के कथनों का खण्डन करते हुये कहा कि "मैंने भैरूलाल गुर्जर से प्लाट खरीदने के लिये कभी उधार पैसे नही लिये थे, भैरूलाल खाई

खुदवा कर मेरी खाते की जमीन को वन विभाग में ले रहा था। मेरी जमीन में से खाई खोदकर दीवार नही बनवाने की एवज में रिश्वत ली है।

प्राइवेट वाहन से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से पास में रतनलाल प्रजापत के मकान में से एक साफ जग में साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा–आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच–1, आर.एच–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा– आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच–1, एल.एच–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

स्वतंत्र गवाहान श्री ओमप्रकाश सैनी से आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल की तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेन्ट के सामने की अन्दर की जेब से 500–500 रू के 60 नोट कुल 30,000 रूपये बरामद हुये। आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल की पेन्ट की जेब से बरामद 500–500 के 60 नोट कुल 30,000 रूपयो के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहो से फर्द पेशकशी व दृष्टांत फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों को देखकर सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना बताया। रिश्वती राशि के नोटों को गवाह श्री ओमप्रकाश सैनी के पास सुरक्षित रखवाये गये।

आरोपी की पेन्ट की जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से आरोपी की पेन्ट को चेंज करवाया गया। एक अन्य कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल के वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट के सामने की अन्दर की जेब को उल्टा करवाकर डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा–आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क पी–1, पी.–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी के वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट को कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क–पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। मन् उप अधीक्षक द्वारा निरीक्षण घटना स्थल कर फर्द नक्शा मौका तैयार किया गया।

तत्पश्चात मौके की कार्यवाही के बाद आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल की मोटर साइकिल की चाबी श्री जितेन्द्र कानि. 413 को सिपुर्द कर मोटरसाइकिल को ब्यूरो कार्यालय बूंदी लेकर जाने के निर्देश देकर रवाना किया गया। जाप्ते की इमदाद से आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल को प्राइवेट में बैठाकर एसीबी जाप्ते के साथ आगे–आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व शेष जाप्ता मय जप्तशुदा आर्टिकल्स, शिल्डशुदा धोवन की शिशियों व शिल्ड पॉकेट पेन्ट के दूसरे प्राइवेट वाहन से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया।

अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी के कब्जे से बरामद रिश्वत राशि 30,000 रूपये के नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश सैनी के पास सुरक्षित रखवाया था। स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश सैनी से रिश्वत राशि 30,000 रूपये के नोटों को प्राप्त कर आरोपी से बरामद नोटो का विवरण फर्द मे अंकित किया गया, जो इस प्रकार है:–

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये	3CK 608868
2	एक नोट पांच सौ रूपये	1LB 420818
3	एक नोट पांच सौ रूपये	3QS 790680
4	एक नोट पांच सौ रूपये	1NN 552985
5	एक नोट पांच सौ रूपये	4MP 340854
6	एक नोट पांच सौ रूपये	5EM 297729
7	एक नोट पांच सौ रूपये	9DV 655051
8	एक नोट पांच सौ रूपये	9FQ 813203
9	एक नोट पांच सौ रूपये	0EU 347239
10	एक नोट पांच सौ रूपये	3AG 580735
11	एक नोट पांच सौ रूपये	0HC 531047
12	एक नोट पांच सौ रूपये	1BQ 359771

13	एक नोट पांच सौ रूपये	4WM 643036
14	एक नोट पांच सौ रूपये	5PN 111157
15	एक नोट पांच सौ रूपये	4NE 507712
16	एक नोट पांच सौ रूपये	2VQ 436427
17	एक नोट पांच सौ रूपये	5QD 041743
18	एक नोट पांच सौ रूपये	7UW 318631
19	एक नोट पांच सौ रूपये	6QF 408089
20	एक नोट पांच सौ रूपये	7AF 431391
21	एक नोट पांच सौ रूपये	8RV 726636
22	एक नोट पांच सौ रूपये	2SP 187100
23	एक नोट पांच सौ रूपये	3FE 649183
24	एक नोट पांच सौ रूपये	5PA 709220
25	एक नोट पांच सौ रूपये	6DB 698836
26	एक नोट पांच सौ रूपये	6SG 899662
27	एक नोट पांच सौ रूपये	9CV 589719
28	एक नोट पांच सौ रूपये	2HW 100916
29	एक नोट पांच सौ रूपये	0MG 028174
30	एक नोट पांच सौ रूपये	8ET 597409
31	एक नोट पांच सौ रूपये	7UW 611423
32	एक नोट पांच सौ रूपये	6PN 781184
33	एक नोट पांच सौ रूपये	4UU 783011
34	एक नोट पांच सौ रूपये	4LP 046231
35	एक नोट पांच सौ रूपये	4LP 384986
36	एक नोट पांच सौ रूपये	9NS 808043
37	एक नोट पांच सौ रूपये	6GF 875957
38	एक नोट पांच सौ रूपये	0CB 262368
39	एक नोट पांच सौ रूपये	4EB 343034
40	एक नोट पांच सौ रूपये	5FF 954565
41	एक नोट पांच सौ रूपये	1RG 477297
42	एक नोट पांच सौ रूपये	4DG 760838
43	एक नोट पांच सौ रूपये	0UL 752443
44	एक नोट पांच सौ रूपये	4BK 157409
45	एक नोट पांच सौ रूपये	5LA 843849
46	एक नोट पांच सौ रूपये	0UR 924503
47	एक नोट पांच सौ रूपये	1SN 941879
48	एक नोट पांच सौ रूपये	4AW 456161
49	एक नोट पांच सौ रूपये	6BW 988560
50	एक नोट पांच सौ रूपये	5WH 924880
51	एक नोट पांच सौ रूपये	5DQ 708085
52	एक नोट पांच सौ रूपये	1DL 478194
53	एक नोट पांच सौ रूपये	3DE 746068
54	एक नोट पांच सौ रूपये	2QA 118104
55	एक नोट पांच सौ रूपये	6EH 547601
56	एक नोट पांच सौ रूपये	8FP 684214
57	एक नोट पांच सौ रूपये	9GB 379239
58	एक नोट पांच सौ रूपये	9SE 071892
59	एक नोट पांच सौ रूपये	1VP 592054
60	एक नोट पांच सौ रूपये	1AW 716781

उक्त नोटो को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से घटनास्थल आकर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त की है। अतः आरोपी ने मोटर

साइकिल स्वयं के नाम ही रजिस्टर्ड होना बताया। अतः आरोपी की मोटर साइकिल नम्बर आर.जे. 08 एस.सी. 5922 बरंग नीला–काला, कम्पनी हीरो होण्डा पेसन प्रो को बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर ब्यूरो परिसर बूंदी में सुरक्षित स्थान पर खडा करवाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी श्री भैरूलाल गुर्जर, सहायक वनपाल को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ, ना ही एफ.एस.एल. से परीक्षण करवाना चाहता हूँ।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही से आरोपी भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री हरदेव जाति गुर्जर उम्र 55 साल निवासी लंका गेट, वैद्यनाथपाडा बूंदी शहर जिला बूंदी हाल सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ, कार्यालय रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प

परिवादी से रिश्वत मांग एवं रिश्वत लेन–देन के लिये आरोपी के मोबाईल नम्बर 9929759922 पर दलाल पण्डित पेन्टर के जरिये वार्ताऐं हुई है। आरोपी के मोबाईल के कॉल विवरण के अवलोकन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हुई है। अतः आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक के कब्जे में मिले एक मोबाईल फोन को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर विवरण अंकित कर कपडे की थैली पर मार्क–एम अंकित कर सील्ड मोहर कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

समय 09.30 पी.एम.: पर परिवादी श्री प्रहलाद गुर्जर तथा आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल व सदिंग्ध पण्डित पेन्टर के मध्य दिनांक 14.06.2023 को दलाल के मोबाईल के माध्यम से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में परिवादी से रिकार्ड करवाई गई थी। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के स्पीकर ऑन कर सुनाया गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 10.45 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रहलाद गुर्जर तथा आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल के मध्य दिनांक 18.06.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता, जो कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में परिवादी से रिकार्ड करवाई गई थी। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के स्पीकर ऑन कर सुनाया गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 19.06.2023 समय 12.20 ए.एम. पर परिवादी श्री प्रहलाद गुर्जर तथा आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ, कार्यालय रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी व सदिंग्ध पण्डित दलाल के मध्य दिनांक 14.06.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 18.06.2023 को परिवादी प्रहलाद गुर्जर व आरोपी भैरूलाल गुर्जर के मध्य वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता सहित कुल 2 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी से ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया था। श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से डिजिटल वाईस रिकार्डर के मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड दोनों वार्ताओं को पृथक–पृथक चार मेमौरी में क्लोनिंग की गई। जिसमें से मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिये तथा दो क्लोनिंग मैमोरी कार्ड आरोपी के लिये कपडे की थैली में अलग–अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक मैमोरी कार्ड को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखा गया। फर्द जप्ती एवं क्लोनिंग मैमोरी कार्ड मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई।

ट्रेप कार्यवाही में अब तक के जप्त आर्टिकल्स मय रिश्वत राशि 30,000 रूपये को श्री शिवनारायण हैड कानि. के जरिये जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद ट्रेप कार्यवाही रूखस्त किया गया।

ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तारशुदा आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल से दिनांक 14.06. 2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान कथित दलाल पण्डित पेन्टर के माध्यम से परिवादी से फोन पर वार्ता कर 20,000 रूपये प्राप्त करने के सम्बंध में पुनः पूछताछ की गई तो बताया कि मैं उसका पूरा नाम नन्दलाल शर्मा तथा उसके पिताजी का नाम बंशीलाल है तथा इन्द्रा कॉलोनी में किराये के मकान में रहता है। नन्दलाल को सभी पेन्टर पण्डित जी के नाम से ही बुलाते है। मैंने उसके मोबाईल नम्बर आपको बता दिये है। कल भी मुझे पकडा था तो तब भी कुछ समय मेरे साथ ही था, परन्तु आपके आने

से पहले ही वह मौके से चला गया था। दिनांक 14.06.2023 को मैंने ही पण्डित को प्रहलाद के पास 20,000 रूपये लेने के लिये भेजा था। पण्डित ने खुद के मोबाईल से प्रहलाद से मेरी बात करवाई थी तथा 20,000 रूपये लाकर मुझे दिये थे, उक्त रूपये मैंने खर्च कर दिये है।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री प्रहलाद गुर्जर ने ब्यूरो कार्यालय बूंदी उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि – " प्रार्थी इन्द्रा कॉलोनी बूंदी का निवासी है। प्रार्थी की जमीन ग्राम श्योपूरिया की बावडी तहसील बूंदी पटवार हल्का मातुन्दा में स्थित है। यह जमीन करीब 14 बीघा 7 बिस्वा है उक्त जमीन के पास वन विभाग बूंदी द्वारा दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है। वन विभाग बूंदी का अधिकारी भैरूलाल गुर्जर मेरे से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने की धमकी देकर 1 लाख रूपयों की रिश्वत मांग रहा है तथा रिश्वत नही देने पर दीवार खाते की जमीन में बनाने की धमकी दे रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। "

परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय बूंदी में शिकायत करने पर दिनांक 14.06.2023 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी भैरूलाल गुर्जर ने कथित दलाल नन्दलाल शर्मा उर्फ पेन्टर पण्डित पुत्र बंशीलाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी, नैनवा रोड बूंदी के माध्यम से परिवादी प्रहलाद गुर्जर से वार्ता कर 20,000 रूपये रिश्वत प्राप्त की गई। जिसकी स्पष्ट पुष्टि फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से होना पाया गया है।

रिश्वत मांग की स्पष्ट पुष्टि होने पर दिनांक 18.06.2023 को ट्रेप कार्यवाही की जाकर आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल को परिवादी प्रहलाद गुर्जर से उसके खाते की जमीन के पास खाई खुदवाने एवं वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने की धमकी देकर 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वती राशि आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की जेब से बरामद की गई। आरोपी के दोनों हाथों एवं वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट की जेब का पृथक–पृथक धोवन का लिया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी भैरूलाल गुर्जर सहायक वनपाल के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी भैरूलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया।

फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता, फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि, फर्द जप्ती मोबाईल आदि के आधार पर आरोपीगण 1. भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री हरदेव जाति गुर्जर उम्र 55 साल निवासी लंका गेट, वैद्यनाथपाडा बूंदी शहर जिला बूंदी हाल सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ, कार्यालय रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी एवं 2. दलाल नन्दलाल शर्मा उर्फ पेन्टर पण्डित पुत्र श्री बंशीलाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी, नैनवा रोड बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 (यथा संशोधित 1988) व धारा 120बी. भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी. भा.दं.सं. में आरोपीगण 1. श्री भैरूलाल गुर्जर, सहायक वनपाल, नाका दलेलपुरा, रेंज रामगढ, कार्यालय रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंन्दी एवं 2. श्री नन्दलाल शर्मा उर्फ पेन्टर पण्डित पुत्र श्री बंशीलाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी, नैनवा रोड बूंदी (प्राईवेट व्यक्ति-दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 156/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19/6/23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 1179-82 दिनांकः- 19.6.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बून्दी।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

19/6/23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।